



01 जनवरी, 2020

सन्देश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा "हिंदी" और लिपि "देवनागरी" है। संविधान सभा में 14 सितंबर, 1949 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए किए गए महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर में भी बिगत दो वर्षों से हिंदी पखवाड़ा का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है की हम अपनी राजभाषा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं। हिंदी आज भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, जिसमें सबसे अधिक योगदान बॉलीवुड फिल्मों का है। संस्थान के सभी सदस्यों से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग हिंदी को प्रयोग में लाएं और अपने सहकर्मी को भी प्रेरित करें। हम अपने संस्थान में हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जय हिन्द।

(पार्थसारथि चक्रवर्ती)

निदेशक